E-mail भेजा गया
14.6.2017

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय

क्रमांक : ए.सी.ए./शिक्षक प्रतियोगिता/2017/3353 दिनांक 14/6/17

विषय :– बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षकों की प्रतियोगिताएं।

महोदय/महोदया,

शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक चिंतन को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष राजस्थान बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2017–18 में भी निम्नानुसार प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जाएंगी :–

(1) पत्र–वाचन प्रतियोगिता
(2) अध्यापन प्रतियोगिता (पावर पाइन्ट प्रेजेन्टेशन द्वारा)
(3) लेख प्रतियोगिता

उपर्युक्त प्रतियोगिताएं दो स्तर पर आयोजित की जाएंगी :–
(क) जिला स्तर
(ख) राज्य स्तर

जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) प्रथम द्वारा करवाया जाएगा। वे अपने जिले के सभी विद्यालयों को प्रतियोगिता की सूचना भेजकर अधिकाधिक शिक्षकों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे।

(क) जिला स्तर

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक– प्रथम) के माध्यम से जिले की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों के लिए उनके द्वारा निर्धारित संस्था में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। **जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक– प्रथम) प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु तिथियों एवं स्थल का निर्धारण कर, सभी संस्था प्रधानों,संबंधित उच्च अधिकारियों एवं निदेशक (शैक्षिक) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को इसकी सूचना देंगे। प्रतियोगिता आयोजन हेतु यथा संभव जिला मुख्यालय का ही चयन किया जाए।** इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से भी किया जाए। **इन प्रतियोगिताओं का आयोजन माह जुलाई 2017 तक अनिवार्यतः कर लें। प्रतियोगिताएं अधिकतम तीन दिवस में सम्पन्न कराई जानी है।** आयोजन संबंधी सूचना बोर्ड कार्यालय को 15 दिवस पूर्व प्रेषित करें जिससे बोर्ड का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके। आयोजन उपरान्त आयोजक संस्था द्वारा प्रतियोगिताओं के परिणाम जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर करवाकर बोर्ड कार्यालय में **निदेशक (शैक्षिक) को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये जाएं।** एक प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान हेतु एक ही प्रतिभागी का चयन करें। **यदि एक प्रतियोगिता में एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आते हैं तो भाग्य विधि द्वारा विजेता का चयन कर उसका ही नाम बोर्ड को प्रेषित करें।**

2. **1. पात्रताः–**

1. राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय/अराजकीय/संस्कृत शिक्षा सहित कक्षा–9 से 12 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षक।
2. डाइट एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक।
3. किसी एक संस्था से एक प्रतियोगिता में एक ही शिक्षक भाग ले सकेगा परन्तु एक शिक्षक एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेगा।

निम्नलिखित प्रकार के शिक्षकों को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :–
1. उच्च प्राथमिक स्तर तक अध्यापन कराने वाले शिक्षक।
2. जिन शिक्षकों ने पूर्व के दो वर्षो में इन प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर भाग लेकर प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त कर लिया है,वे सम्बन्धित प्रतियोगिता में भाग नही ले सकेंगे। पात्रता की घोषणा संस्था प्रधान द्वारा प्राप्त करनी होगी।

2. आयोजन व्ययः–

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक– प्रथम) द्वारा जिस संस्था को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु चयनित किया जाएगा, उस संस्था को 3000/– रूपये की राशि जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा पर बोर्ड द्वारा आयोजन व्यय हेतु

प्रदान की जाएगी। संस्था प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतियोगिता परिणामों के साथ आयोजन व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर निदेशक (शैक्षिक) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को यथाशीघ्र प्रेषित करें, ताकि आयोजन व्यय राशि सम्बन्धित संस्था को भिजवायी जा सके।

3. पुरस्कार राशिः–

जिला स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र तथा पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगी :–

स्थान	राशि (रूपयों में)
(1) प्रथम स्थान	2000/–
(2) द्वितीय स्थान	1500/–
(3) तृतीय स्थान	1000/–

विशेष :–

1. **जिला स्तर पर आयोज्य प्रतियोगिताओं हेतु प्रत्येक प्रतियोगिता में कम से कम पाँच प्रतिभागियों का भाग लेना आवश्यक है। इससे कम प्रतिभागी होने पर संबंधित प्रतियोगिता में पुरस्कार राशि देय नहीं होगी।**
2. **प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के लेख, पत्र–वाचन एवं अध्यापन पाठ/पावर पाइन्ट की सी.डी. तथा भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सम्पूर्ण सूची बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करें।**
3. **सभी सूचनाऐं बोर्ड के ई–मेल senioradbser@gmail.com पर भी अनिवार्यतः प्रेषित करें।**

(ख) राज्य स्तर

1. पात्रता :–

जिला स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय शिक्षक प्रतियोगिता हेतु पात्र होंगे।

2. आयोजनः–

राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा किया जाएगा।
(अगस्त 2017 में प्रस्तावित)

3. पुरस्कार राशिः–

राज्य स्तर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर बोर्ड द्वारा प्रमाण–पत्र एवं पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगी :–

स्थान	राशि (रूपयों में)
(1) प्रथम स्थान	5000/–
(2) द्वितीय स्थान	3000/–
(3) तृतीय स्थान	2000/–

नोट :– राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को वास्तविक यात्रा व्यय राज्य सरकार के नियमानुसार बोर्ड द्वारा देय होगा।

अन्य जानकारियां

1. अध्यापन प्रतियोगिता में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कराये जाने वाले विषयों के पाठ स्वेच्छा से लिए जा सकते हैं। **इसकी समय सीमा 10 मिनट होगी। शिक्षण पारम्परिक पद्धति के स्थान पर पावर पाइन्ट प्रेजेन्टेशन द्वारा ही किया जाएगा।**
2. पत्र–वाचन प्रतियोगिता में अध्यापकों को बोर्ड द्वारा अभिव्यक्ति का मंच दिया जाता है, ताकि शिक्षक अध्ययन अध्यापन के संबंध में अनुभूत समस्याओं के समाधान पर विचार प्रस्तुत कर सकें। पत्र–वाचन संलग्न विषय क्षेत्र से चयनित किये जाएं। **पत्र–वाचन हेतु अधिकतम समय सीमा 12 मिनट दी जाएगी।**
3. लेख प्रतियोगिता हेतु विषय जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा राज्य स्तर पर बोर्ड द्वारा संलग्न विषय क्षेत्र में से दिया जाएगा। लेख की अधिकतम सीमा 3000 शब्द तक की होगी। **इसके लिए समय सीमा 2 घंटे की होगी। उत्तर पुस्तिका आयोजक विद्यालय उपलब्ध करायेगा एवं प्रतियोगी निर्धारित समय सीमा में प्रतियोगिता स्थल पर ही लेख लिखेंगे।**
4. शैक्षिक क्षेत्र में निष्णात, अनुभवी, उच्च पदस्थ यथासंभव स्थानीय व्यक्तियों को ही निर्णायक के रूप में आमन्त्रित किया जाए। अन्तिम निर्णय बोर्ड का ही मान्य होगा।
5. प्रत्येक प्रतियोगिता में निर्णय तीन निर्णायकों से करवाकर उनके अंकन के योग के आधार पर करवाया जाए।
6. आयोजक विद्यालय तथा जिस विद्यालय से प्रतिभागी भाग ले रहे हों, उस विद्यालय से निर्णायक नहीं लिये जाएं।

7. आयोजक विद्यालय प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात प्रत्येक प्रतियोगिता का परिणाम तुरन्त प्रेषित करें। प्रत्येक प्रतियोगिता के कुल प्रतिभागियों की संख्या प्रारूप में अवश्य अंकित करें। निर्णायकों के नाम, पद, पता तथा दूरभाष नं. भी अवश्य लिखे जाएं।

8. **विजेता शिक्षक का पूर्णतः सही नाम, पता, मोबाइल नम्बर व विद्यालय का नाम तथा आयोजन व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आयोजन के 15 दिवस में अनिवार्यतः भेजा जाए, ताकि आयोजन व्यय तथा पुरस्कार राशि समय पर प्रेषित की जा सके। विलम्ब की स्थिति में पुरस्कार राशि व प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आयोजक विद्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) की स्वयं की होगी।**

विषय क्षेत्र :– (लेख एवं पत्र–वाचन हेतु)

1. विद्यालयी शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की उपादेयता
2. शैक्षिक संस्थाओं में मानवीय संसाधनों की प्रभावशाली उपयोगिता
3. विद्यालयों में सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी आयोजन–अपने अनुभव
4. विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना/सत्रांक योजना का प्रभावी संचालन– अपने अनुभव
5. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता
6. नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों की जवाबदेही हेतु विद्यालयों में की जाने वाली गतिविधियाँ
7. छात्रों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास
8. शिक्षा में जवाबदेही/आज की आवश्यकता "शिक्षा और मानव–कल्याण"
9. परीक्षा परिणाम सुधार हेतु उपचारात्मक क्रियाकलाप
10. शिक्षण युक्तियाँ एवं प्रभावी अध्यापन
11. उद्देश्य आधारित मूल्यांकन
12. शिक्षक अभिभावक संघ का विद्यालय संचालन में सहयोग
13. गुणवत्तायुक्त शिक्षा के विभिन्न आयाम
14. प्रभावी शिक्षण के लिए व्यावसायिक उन्नयन
15. शिक्षा एवं मूल्यों के विकास हेतु प्रभावी कार्यक्रम
16. शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रभावी मार्गदर्शन
17. शिक्षा का संस्कृति के विकास में योगदान
18. जीवन कौशल शिक्षा का प्रभावी प्रबंधन
19. निर्देशन सेवाओं में शिक्षक की भूमिका
20. लिखित कार्य योजना का प्रभावी संचालन एवं मूल्यांकन
21. माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान समस्याएं एवं निराकरण
22. योग शिक्षा की आवश्यकता एवं उपादेयता
23. ई– पाठ्यक्रम : क्रियान्वयन
24. शिक्षक संघों का विद्यालय उन्नयन में योगदान
25. शैक्षिक विकास की नवीनतम योजनाएं
26. किशोरावस्था शिक्षा के नए आयाम
27. राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शिक्षकों की भूमिका
28. शिक्षा में पर्यावरण पाठ्यक्रम की उपादेयता
29. शिक्षा में बढ़ता व्यावसायीकरण
30. शिक्षा का निजीकरण
31. शोध प्रायोजनाएं : आवश्कता एवं उपादेयता
32. मूल्यांकन में आत्मनिष्ठ प्रश्नों की प्रासंगिकता
33. प्रभावी भाषा व शिक्षित व्यक्ति
34. शिक्षा (अध्ययन व अध्यापन) में भाषायी अनुशासन का महत्व
35. जिज्ञासा वृद्धि में विद्यालयी शिक्षा की भूमिका
36. शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना का विकास
37. शिक्षा में नैतिक व धार्मिक मूल्यों का समावेश, सीमा व महत्त्व
38. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर महापुरूषों की जीवनियाँ व आत्मकथाओं की पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता

39. राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका
40. विद्यालय का सामाजिक सरोकार
41. व्यावसायिक शिक्षा
42. विद्यार्थियों में नागरिक कर्त्तव्यों की चेतना के उपक्रम
43. विद्यार्थी में मानवीय संवेदनाओं का विकास कैसे हो ?
44. विद्यालय परिवार (अध्यापक+विद्यार्थी) में श्रमानुभव की उपादेयता
45. ग्रामीण विद्यालयों मे कृषि एवं पर्यावरण चेतना
46. कौशल विकास–ग्रामीण विद्यालय खेत से एवं शहरी विद्यालय औधोगिक इकाई से कैसे जुड़ें ?
47. एक ही सिक्के के दो पहलू– व्यक्तिगत चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र
48. विद्यालय अनुशासन – तात्पर्य, विधि – निषेध
49. विद्यालय में अपने उदाहरण से शिक्षक कैसे सिखा सकता है ?

मूल्यांकन :

(अ) पत्र–वाचन प्रतियोगिता के मूल्यांकन का आधार :– (समय सीमा – 12 मिनट)

1. शीर्षक का औचित्य एवं इसका विषय–वस्तु से सामंजस्य		10
2. विषय वस्तु की पर्याप्तता एवं प्रस्तुतीकरण		35
3. मौलिकता (नवीन विचार, अनुकूल प्रयोग, स्पष्ट संकल्पना एवं तथ्यान्वेषण)		35
4. भाषा एवं शैली (शुद्धता, सुग्राह्यता, रोचकता एवं प्रवाहशीलता)		15
5. निष्कर्षो की पर्याप्तता		05
	अंक	100

(ब) अध्यापन प्रतियोगिता के मूल्यांकन का आधार :– (समय सीमा – 10 मिनट)

1. पाठ योजना का निर्माण (उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण बिन्दुओं की पर्याप्तता)		15
2. प्रस्तावना		10
3. पाठ विकास (प्रकरण, कथन, भाषा, स्पष्टता, विषय से संबंधी शिक्षण विधा कौशलों का उपयोग एवं श्याम पट्ट उपयोग)		50
4. पाठ समापन (पुनरावृत्ति एवं श्याम पट्ट सार)		05
5. मूल्यांकन (उद्देश्यनिष्ठता, विद्यार्थी उत्तर, निर्धारित समय में समाप्ति)		10
6. अध्यापक का समग्र प्रभाव (अध्यापक का व्यक्तित्व, कक्षा अनुशासन, अध्यापक–विद्यार्थी संबंध)		10
	अंक	100

(स) लेख प्रतियोगिता के मूल्यांकन का आधार :– (समय सीमा – 2 घंटे)

1. प्रस्तावना		10
2. विषय–वस्तु की मौलिकता		40
3. प्रस्तुतीकरण और विषय के संदर्भ में औचित्य एवं प्रासंगिकता		20
4. भाषा एवं शैली		20
5. उपसंहार		10
	अंक	100

सचिव

क्रमांक : ए.सी.ए. / शिक्षक प्रतियोगिता / 2017 3354 दिनांक 14/6/17

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ, प्रचार–प्रसार एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
3. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय–अजमेर / जयपुर / उदयपुर / कोटा / जोधपुर / चूरू भरतपुर / पाली / बीकानेर।
4. सम्पादक शिविरा, बीकानेर (कृपया शिविरा में प्रकाशित करने का श्रम करें)।

सचिव 5/6/17